



Neutral Citation No.- 2026:AHC:30

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका- बी संख्या - 5309 वर्ष 2025

हरे राम

... याचिकाकर्ता

बनाम

प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड और 2 अन्य

....उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील
प्रतिवादी के वकील

: भैम चंद पांडे
: सीएससी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मुनेश्वर सिंह की बात सुनी गई।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"प्रतिवादी संख्या 1 को प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित पुनरीक्षण संख्या 1935/2024 (ओंकारनाथ बनाम हरे राम) पर निर्णय लेने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि विभाजन के मुकदमे से संबंधित पुनरीक्षण याचिका प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष वर्ष 2024 से लंबित है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका में विपक्षी पक्ष है। उन्होंने मामले की धीमी प्रगति को दर्शाने के लिए लंबित कार्यवाही की आदेश पुस्तिका प्रस्तुत की।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त

किए बिना, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1/उत्तर "अनुवादित-निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रदेश राजस्व बोर्ड, प्रयागराज को उपरोक्त कार्यवाही को यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 3 माह की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार, तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाए।

5 जनवरी, 2026

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.